

Order sheet [Contd]

case No: MACC - 10 / 16

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09-09-17	<p>प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत ।</p> <p>आवेदक राधेश्याम सहित श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता उप0, मेमो पेश ।</p> <p>आवेदक की ओर से आधार कार्ड एवं उसकी फोटोप्रति पेश की गयी, असल के अवलोकन के पश्चात असल आधार कार्ड वापस किया गया ।</p> <p>अनावेदक क0-1 उदयवीर सहित एवं अनावेदक क0-2 द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उप0 ।</p> <p>उभयपक्ष की ओर से सहमतिपत्र लोक अदालत डॉकेट भरकर संयुक्त रूप से राजीनामा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया । आवेदक राधेश्याम के द्वारा डॉकेट पर हस्ताक्षर किए गये । जिसे श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता ने पहचाना है ।</p> <p>प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि अनावेदकगण आवेदक राधेश्याम को आई चोटों के लिये आवेदक को राशि रुपये 1,000 / - (एक हजार) अदा करेंगे ।</p> <p>उभय पक्ष की ओर से स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया । राजीनामा विधिवत प्रकट होता है । अतः राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामे के आधार पर आवेदक के पक्ष में निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अनावेदकगण दुर्घटना में आवेदक राधेश्याम को आई चोटों के लिए क्षतिपूर्ति स्वरूप आवेदक को राशि रुपये 1,000 / - (एक हजार) दो माह की अवधि में अदा करें । विहित इस अवधि में यदि राशि की अदायगी नहीं की जाती है तब विलंबित अवधि के लिये देय राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की राशि भी अदा करें । 2. उक्त क्षतिपूर्ति की राशि रुपये 1,000 / - (एक हजार) आवेदक को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान किये जावें । 3. उभय पक्ष अपना-अपना वाद वहन करेंगे । 4. अधिवक्ता शुल्क दो सौ रुपये लगाया जावे । प्रतिलिपि पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे । <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे ।</p> <p>(दिनेश सिंह गुर्जर) (बृजराज सिंह गुर्जर) (मोहम्मद अजहर) सदस्य सदस्य पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, खण्डपीठ क.19</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)